श्री मोरारजी देसाई : जो आश्वासन माननीय सदस्य चाहते हैं वह आश्वासन मैं उन्हें नहीं दे सकता। मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि संविधान और संसद् के नियमों के मुताबिक जो जरूरी होगा वही मैं करूंगा।

12.19 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER EXPORT (QUALITY-CONTROL AND INSPECTION) ACT 1963 ETC, ETC

वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री चौधरी राम सेवक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) निर्यात (किस्म नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति—-

(एक) स्टेनलेस स्टील के बर्तन (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 15 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1428 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अभ्रक निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 15 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1431 में प्रकाशित हुए थे।

[*Placed in Library. See* No. LT—1020/69.]

(2) (एक) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत बंगाल नागपुर, काटन मिल्स लिमिटेड, राजनन्दगांव के प्रबन्ध के बारे में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 741 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[*Placed in Library. See.* No. LT—1021/69.]

12.20 hrs.

ESTATE DUTY (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): Sir, I beg to move:*

> "That the Bill further to amend the Estate Duty (Distribution) Act, 1962, be taken into consideration."

This Bill relates to the distribution of the net proceeds of Estate Duty among the States as recommended by the Fifth Finance Commission. The Commission was, among other things, required to make recommendations in regard to the changes, if any, to be made in the principles governing the distribution among the States of the net proceeds of Estate Duty in respect of property other than agricultural land. In its interim report, which together with an explanatory memorandum on the action taken thereon was laid before the Lok Sabha on 15th November, 1968, the Commission has made final recommendations in this regard. The Commission has increased the share attributable to Union territories from 2 per cent to 3 per cent taking into account the population of the Union territories as

*Moved with the recommendation of the President.